क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक – 18 | सितंबर 16-30, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

नौकरियों की घटती संख्या और गिरता स्तर :

देश की युवा श्रमशक्ति को बर्बाद किया जा रहा है

सरकारी प्रवक्ताओं का दावा है कि हिन्दोस्तान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। परन्तु नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ रही है और जो नौकरियां मिल रही हैं उनका स्तर (काम और वेतन की शर्तें) भी गिरता जा रहा है। हिन्दोस्तान की युवा आबादी, जो सबसे मूल्यवान उत्पादक शक्ति है, वह बर्बाद हो रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूंजीवादी लालच को पूरा करने की दिशा में चलायी जा रही है, न कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में।

हिन्दोस्तान की लगभग 140 करोड़ की कुल आबादी में से लगभग 90 करोड़ लोग 15–59 वर्ष की कामकाजी उम्र में हैं। लेकिन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई.) के अनुसार, मई 2023 में इस कामकाजी उम्र की आबादी में से केवल 40 करोड़ से कुछ अधिक लोगों को ही ऐसी नौकरियां मिल सकीं जिनसे उनका गुज़ारा हो सके। इनमें लगभग 36 करोड़ पुरुष थे और 4 करोड़ महिलाएं थीं। सी.एम.आई.ई. उसी व्यक्ति को रोज़गारशुदा मानता है, जो सर्वे करने के दिन पर कम से कम 4 घंटे की आमदनी कमाने वाले काम में लगा हुआ था। इस प्रकार से, काम पर लगे लगभग 40 करोड़ लोगों में से लगभग 22 करोड़ मासिक या दैनिक वेतन कमाने वाले हैं और लगभग 18 करोड़ स्व–रोज़गार वाले हैं, जिनमें लगभग 10 करोड़ किसान भी शामिल हैं।

अप्रैल 2023 में लगभग 3.2 करोड़ व्यक्ति बेरोज़गार थे; यानी कि वे सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला था। इस प्रकार, श्रम शक्ति में कामकाजी उम्र की आबादी का लगभग आधा हिस्सा ही शामिल है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो या तो रोज़गारशुदा हैं या फिर काम की तलाश में हैं, लेकिन इस समय बेरोज़गार हैं। बाकी आधे जो श्रम शक्ति में नहीं हैं, उनमें वे लोग शामिल हैं जो अवैतनिक घरेलू काम में लगे हुए हैं, जो छात्र हैं, या जिन्होंने गुज़ारे लायक रोज़गार खोजने की कोशिश करनी छोड़ दी है।

वर्ष 2017–18 में कामकाजी उम्र की आबादी के अलग–अलग आयु–समूहों को तालिका–1 में दर्शाया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि करोड़ों लोग जो काम करने में सक्षम और इच्छुक हैं, उनके पास कमाई योग्य कोई रोज़गार नहीं है। करोड़ों महिलाएं जो उत्पादक कार्य करने में सक्षम हैं, वे सामाजिक बाधाओं के कारण या बाहर काम करना असुरक्षित होने के कारण, घर पर ही रह रही हैं। करोड़ों युवा महिलाएं और पुरुष रोज़गार की तलाश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोज़गार मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सभी उत्पादक शक्तियों की भारी बर्बादी को दर्शाते हैं।

तालिका–2 (पृष्ठ 4) से पता चलता है कि रोज़गारशुदा लोगों की कुल संख्या 2016–17 में 41.27 करोड़ से गिरकर 2022–23 में 40.58 करोड़ हो गई है; और सबसे बड़ी गिरावट युवाओं के रोज़गार में आई है। 2016–17 में श्रमशक्ति में 30 साल से कम उम्र के 10.34 करोड़ लोग थे। 2022–23 के अंत तक यह संख्या 3 करोड़ से अधिक से गिरकर, सिर्फ 7.1 करोड़ रह गई है।

2020–2030 के दशक में कामकाजी उम्र की आबादी 90 करोड़ से बढ़कर लगभग 100 करोड़ होने की संभावना है। यह संभावित रूप से एक विशाल राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसे "जनसांख्यिकीय लाभ" कहा जाता है। परन्तु, मौजूदा व्यवस्था में यह संभावित संपत्ति बर्बाद हो रही है।

न सिर्फ़ उपलब्ध नौकरियों की संख्या स्थगित हो गई है, बल्कि नियमित और स्थायी रोज़गार से हटकर, ठेके पर काम की तरफ़ बदलाव हुआ है।

निजी क्षेत्र में, देशी और विदेशी पूंजीवादी कंपनियों में, अस्थायी ठेकों पर काम ही रोज़गार का प्रमुख रूप बनता जा रहा है। अस्थायी ठेकों पर काम करवाकर कंपनियां मज़दूरों पर किये जाने वाले खर्चों में बहुत कटौती कर सकती हैं, क्योंकि कंपनी को ठेके पर रखे गए मज़दूरों को वे सभी अधिकार और सुविधाएं नहीं देने पड़ते हैं, जो क़ानूनी तौर पर नियमित मज़दूरों को देने होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में भी ठेका मज़दूरी का प्रयोग बढ़ रहा है। सरकारी विभागों और सार्वजनिक कारोबारों में पिछले कई वर्षों से नियमित कर्मचारियों के रिक्त पदों पर कोई भर्ती नहीं की जा रही है ।

2019 में, भारतीय रेल की 35,000 नौकरियों के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, यानी कि प्रत्येक नौकरी के लिए 357 आवेदन। जनवरी 2022 में रेलवे के अधिकारियों ने घोषणा कर दी कि वे इन आवेदनों के आधार पर कोई नौकरी नहीं देंगे!

तालिका–1 : 2017–18 में कामकाजी उम्र के व्यक्तियों की स्थिति (करोड़ में)

स्थिति	15–24 वर्ष आयु	25–59 वर्ष आयु
छात्र	12.9	0.4
स्व–रोज़गार	2.1	17.5
नियमित वेतनभोगी	1.6	9.3
अस्थाई काम	1.5	8.9
बेरोज़गार•	1.9	1.3
घरेलू/घरेलू कार्य	5.7	21.7
नियोक्ता	–	0.7
अन्य	0.4	1.6
कुल	26.1	61.4

• बेरोज़गार वे हैं जो सक्रिय रूप से तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली।

स्रोत : इंडिकस फाउंडेशन श्वेतपत्र; 21वीं सदी के हिन्दोस्तान के उभरते रोज़गार पैटर्न – लवीश भंडारी और अमरेश दूबे द्वारा, 2019

शेष पृष्ठ 4 पर

राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग मज़दूर (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 :

गिग मज़दूरों की समस्याओं को हल करने का दावा

राजस्थान सरकार ने 24 जुलाई, 2023 को राजस्थान प्लेटफॉर्म–आधारित गिग मज़दूर (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 को पारित किया।

यह अधिनियम, मज़दूर–किसान शक्ति संगठन (एम.के.एस.एस.) जैसे संगठनों, आई.एफ.ए.टी. (इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स) जैसे मज़दूर यूनियनों और कई अन्य मज़दूर संगठनों के लंबे और कठिन संघर्ष और प्रयासों का परिणाम है।

अधिनियम में कई वादे किये गये हैं जैसे कि (1) एक कल्याण बोर्ड का गठन करना और प्लेटफॉर्म–आधारित गिग मज़दूरों के लिए एक कल्याण कोष स्थापित करना; (2) राज्य में प्लेटफॉर्म–आधारित गिग मज़दूरों, एग्रीगेटर्स और प्रमुख मालिकों को पंजीकृत करना; (3) प्लेटफॉर्म–आधारित गिग मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की सुविधा प्रदान करना और (4) कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व के माध्यम से

अपने अधिकारों के लिये गिग मज़दूरों का प्रदर्शन (फ़ाइल फोटो)

गिग मज़दूरों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना।

गिग–मज़दूर सुरक्षा और कल्याण कोष को राजस्थान सरकार से और एग्रीगेटर्स से धन प्राप्त होगा। एग्रीगेटर्स प्रत्येक लेनदेन के मूल्य का एक निर्धारित प्रतिशत, इस फंड में योगदान के रूप में देंगे। राजस्थान सरकार 200 करोड़ रुपये का योगदान देगी।

राज्य सरकार गिग मज़दूरों का एक डेटाबेस बनाएगी और उसकी देखरेख करेगी। राज्य सरकार उनमें से प्रत्येक मज़दूर के लिए एक विशिष्ट आई.डी. तैयार करेगी। एग्रीगेटर्स को उनके लिए काम करने वाले गिग मज़दूरों का

शेष पृष्ठ 6 पर

अंदर पढ़ें

- जी–20 शिखर सम्मेलन 2
- मणिपुर में संकट जारी 2
- मज़दूरों के जीवन से खिलवाड़ 3
- सफ़ाई कर्मचारियों की दुर्दशा 3
- पांच मजदूरों की मौत 3
- पाठकों की प्रतिक्रिया 5
- राजस्थान में फार्मासिस्ट धरने पर 7
- छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल 7

नई दिल्ली में आगामी जी–20 शिखर सम्मेलन :

पूंजीवाद के समर्थकों के पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं है

जी–20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन इस वर्ष नई दिल्ली में हो रहा है। जी–20 दुनिया के 19 प्रमुख पूंजीवादी देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है। इसके सदस्य देश हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, रूस, चीन, हिन्दोस्तान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और दक्षिण कोरिया।

विभिन्न सदस्य देश बारी–बारी से प्रत्येक वर्ष जी–20 के अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। हिन्दोस्तान इस पद पर दिसंबर 2022 से है। हिन्दोस्तान से पहले, इंडोनेशिया इसके अध्यक्ष के पद पर था। हिन्दोस्तान दिसंबर 2023 को जी–20 की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंप देगा।

जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े या छोटे सभी देश सदस्य होते हैं, तो इसके विपरीत, जी–20 आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली देशों का एक समूह है। यह समूह वैश्विक–आमदनी, वैश्विक–व्यापार और वित्तीय–निवेश के लगभग तीन–चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह ने वैश्विक स्तर पर राजकोषीय और आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने और फ़ैसले लेने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है।

पहले के शिखर सम्मेलनों में जैसा होता आया है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान भी जी–20 के नेता विश्व की प्रमुख समस्याओं पर सलाह–मशवरा करेंगे। इनमें शामिल हैं बेरोज़गारी, गैर–बराबरी, बीमारियां, युद्ध, आतंकवाद, क़र्ज़–संकट और पर्यावरण की दिन–प्रतिदिन बिगड़ती हालतें। परन्तु जी–20 के वार्षिक शिखर सम्मेलनों की वजह से इनमें से किसी भी समस्या के समाधान की दिशा में कोई भी क़दम नहीं उठाया गया है। इसका कारण यह है कि इन सभी समस्याओं का स्रोत वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में है, और इन शिखर सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता इस वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन और इसकी हिफ़ाज़त करते हैं।

पूंजीवाद अपने उच्चतम पड़ाव, साम्राज्यवाद के स्तर तक पहुंच गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें विश्व बाज़ार पर और कच्चे माल के स्रोतों पर कुछ शक्तिशाली साम्राज्यवादी राज्यों की इजारेदार कंपनियों का वर्चस्व और नियंत्रण होता है। इस व्यवस्था में सामाजिक उत्पादन कुछ इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा अधिकतम निजी मुनाफ़े बनाने के लिए किया जाता है। कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित की जाती है, जबकि यह दिशा दुनिया के सभी देशों के मज़दूर वर्ग और आम लोगों की ज़िन्दगी को तबाह कर रही है।

प्रत्येक साम्राज्यवादी राज्य, मानव समाज के हितों की घोर अवहेलना करते हुए, दूसरे राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, अपने शासक वर्ग के संकीर्ण हितों की हिफ़ाज़त करने के लिए काम करता है। साथ ही साथ, सभी साम्राज्यवादी शक्तियां पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था को क़ायम रखने और दुनिया के किसी भी हिस्से में श्रमजीवी वर्ग की क्रांति को रोकने के लिए, मिलकर काम करती हैं।

जी–20 संगठन की शुरुआत 25 साल पहले, 1997 के वैश्विक–आर्थिक संकट के बाद हुई थी। उस समय, अमरीका के नेतृत्व में दुनिया के सात प्रमुख पूंजीवादी देशों जो खुद को जी–7 कहते हैं, उन्होंने यह फ़ैसला लिया कि तथाकथित उभरती शक्तियों को एक ऐसे मंच में शामिल किया जाये, जहां वैश्विक–पूंजीवादी व्यवस्था को क़ायम रखने के लिए ज़रूरी सभी आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर चर्चा की जा सके।

पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो न केवल सारी दौलत को एक ध्रुव पर केंद्रित करती है, बल्कि दूसरे ध्रुव पर बड़े पैमाने पर ग़रीबी पैदा करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसके चलते, दुनिया के लोगों को बार–बार विनाशकारी संकटों से जूझना पड़ता है। ये संकट समाज की उत्पादक शक्तियों के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर देते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था की नींव को झकझोर देते हैं। ऐसा ही एक विनाशकारी संकट 1997 में हुआ था, जिसे एशियाई वित्तीय संकट के नाम से जाना जाता है। उस संकट से पैदा हुई हालतों पर काबू पाने के लिए, तत्काल कुछ नीतिगत उपायों पर सहमति बनाने के उद्देश्य से, जी–7 की साम्राज्यवादी ताक़तें एक साथ आई थीं। उन्होंने अन्य चीजों के साथ–साथ, यह भी महसूस किया था कि इन सात राज्यों के विशिष्ट समूह के अलावा, कुछ उभरती ताक़तों को भी अपने औपचारिक विचार–विमर्श में शामिल करना ज़रूरी है। इससे यह हक़ीक़त भी सामने आयी कि वैश्विक आर्थिक उत्पादन में जी–7 का हिस्सा घटना शुरू हो गया था, जबकि चीन, हिन्दोस्तान और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी क्रमशः बढ़ रही थी।

जी–20 की उत्पत्ति का मतलब यह कतई नहीं था कि वैश्विक–आर्थिक नीति लोकतांत्रिक हो गई है। इस क़दम को इसलिये उठाया गया था ताकि कुछ और अधिक संख्या में राज्यों का समर्थन जुटाकर, सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली पूंजीवादी–साम्राज्यवादी ताक़तों के आर्थिक एजेंडे को वैधता दिलाई जा सके।

अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों को हल करने की दिशा में जी–20 संगठन का कोई योगदान नहीं रहा है। इसके विपरीत, अंतर–इजारेदारी और अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोध व मतभेद और भी तीव्र हो गए हैं। इस हक़ीक़त को यूक्रेन के मुद्दे पर अमरीका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन द्वारा रूस के ख़िलाफ़ छेड़े गए युद्ध में देखा जा सकता है। इस सच्चाई को अमरीका द्वारा चीन के ख़िलाफ़ छेड़े गए व्यापार–युद्ध में देखा जा सकता है। अमरीका संप्रभु राज्यों के बीच के संबंधों को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी सिद्धांतों का खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन करता आया है। अमरीका अन्य

शेष पृष्ठ 4 पर

मणिपुर में संकट जारी है

29 अगस्त को मणिपुर विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था। पिछले 4 महीनों से राज्य में फैली हिंसा में मारे गए लोगों की याद में सदन में दो मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री द्वारा शांति का आह्वान करते हुए पेश किए गए एक प्रस्ताव को अपनाया गया। लेकिन राज्य में हिंसा के कारणों पर और शांति कैसे लाई जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। स्थिति पर चर्चा के लिए सत्र को 5 दिनों तक बढ़ाने की विपक्ष की मांग को ख़ारिज़ कर दिया गया। विपक्ष ने इसके विरोध में वॉकआउट किया, जिसके बाद, विधानसभा सत्र 48 मिनट के अंदर अचानक समाप्त हो गया।

यह स्पष्ट है कि मणिपुर सरकार का राज्य की स्थिति पर चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था। दस कुकी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक भी शामिल थे, इस सत्र में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इंफाल में उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है। विधानसभा सत्र बुलाने का एकमात्र कारण इस संवैधानिक ज़रूरत को पूरा करना था कि दो विधानसभा सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र मार्च में आयोजित किया गया था।

इससे तीन हफ्ते पहले भी, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान मणिपुर की मौजूदा स्थिति के पीछे के कारणों और आगे की राह पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई थी। सरकार और विपक्ष के बीच सिर्फ आरोप–प्रत्यारोप होते रहे।

3–4 मई के बाद से सशस्त्र बलों द्वारा फैलाई गई तबाही और हिंसा के परिणामस्वरूप, कम से कम 180 लोगों की जान चली गई है और 60,000 से अधिक लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जो शरणार्थी बन गए हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, हथियारबंद गिरोहों ने सभी कुकी परिवारों को राजधानी इंफाल से भागने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि मैतेई परिवारों को कुकी बहुल क्षेत्रों से भागने के लिए मजबूर किया गया है। इसके लिए सिर्फ़ हथियारबंद गिरोह ही दोषी नहीं हैं। मुख्य रूप से दोषी वे हैं जिन्होंने इन हथियारबंद गिरोहों को संगठित किया, उन्हें हथियार और धन दिए, उन्हें राज्य की सुरक्षा दी तथा उन्हें लामबंध किया व खुली छूट दी।

जाना जाता है कि हिंसा की पहली घटनाओं के चार महीने बाद भी, हिन्दोस्तानी राज्य के सशस्त्र बलों के शस्त्रागारों से ली गई कम से कम 4,000 अत्याधुनिक हथियार अभी भी इन गिरोहों के हाथों में हैं। हिन्दोस्तानी राज्य ने इन हथियारों को वापस लेने की अब तक कोई कोशिश नहीं की है।

आम तौर पर यह माना जा रहा है कि अगर हिन्दोस्तानी राज्य चाहे तो वह कुछ ही दिनों में अराजकता और हिंसा को जल्दी से ख़त्म कर सकता है। परन्तु चार महीने से अधिक समय तक राज्य ने मणिपुर में ऐसा नहीं किया है। यह दर्शाता है कि इसके पीछे हिन्दोस्तानी राज्य के कुछ अति–दुष्ट इरादे हैं। मणिपुरी समाज में लोगों के आपसी बंटवारे को गहरा और कठोर बनाने और लोगों की एकता को तोड़ने के लिए अराजकता और हिंसा की स्थिति को जानबूझकर लंबे समय तक बनाए रखा जा रहा है।

हिन्दोस्तानी राज्य के सशस्त्र बल – केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाली असम राइफल्स और राज्य सरकार के नियंत्रण में मणिपुर पुलिस – को लोगों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। ये सशस्त्र बल लोगों के बीच पूरी तरह से बदनाम हैं। उन्होंने जनता के लिए सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। दूसरी ओर, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि असम राइफल्स कुकी गिरोहों को हथियार दे रही है और उनकी रक्षा कर रही है। यह भी व्यापक रूप से माना जाता है कि मणिपुर पुलिस मैतेई गिरोहों को हथियार दे रही है और उनकी सुरक्षा कर रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री, दोनों समस्या के कारण के बारे में अपने बयानों से भावनाओं को भड़का रहे हैं। वे उन शरणार्थियों को दोषी ठहरा रहे हैं जो म्यांमार में फ़ौजी शासन के लागू होने के बाद वहां से भाग कर आये हैं। कुकी–ज़ो शरणार्थियों को पहाड़ियों में वन भूमि पर क़ब्ज़ा करने और उन ज़मीनों पर खसखस की खेती करने का दोषी बताया गया है।

पड़ोसी देश के शरणार्थियों को दोषी ठहराना एक आसान बहाना है लेकिन इसे मणिपुर में हाल की हिंसा की वजह नहीं माना जा सकता है। गौरतलब है कि मिज़ोरम में 40,000 से अधिक शरणार्थियों और विस्थापित लोगों का स्वागत किया गया है, लेकिन मिज़ोरम पूर्वोत्तर में सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत असूलों के अनुसार दूसरे देश से आए शरणार्थियों की देखभाल की जाए।

खसखस की खेती के लिए कुकी–ज़ो शरणार्थियों को दोषी ठहरा कर उस आम जानी–मानी बात से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, कि खसखस की खेती के पीछे सत्ता में बैठे लोगों का हाथ है। इस खसखस की खेती से सत्ता में बैठे लोगों की तिजोरियां भरी जाती हैं और विभिन्न हथियारबंद गिरोहों के लिए धन जुटाया जाता है।

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को बर्ख़ास्त करने की संसद के विभिन्न विपक्षी सदस्यों की मांग का उल्लेख करते हुए, गृहमंत्री शाह ने कहा है कि किसी मुख्यमंत्री को हटाने की आवश्यकता तभी होती है जब वह केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहा हो। केंद्रीय गृहमंत्री ने घोषणा की है कि बीरेन सिंह की मणिपुर सरकार वर्तमान स्थिति से निपटने में केंद्र सरकार के साथ मिलकर सहयोग कर रही है। दूसरे शब्दों में, अराजकता और हिंसा की स्थिति को चार महीने से अधिक समय तक बनाए रखना एक ऐसी योजना का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकारें मिलजुलकर काम कर रही हैं।

समस्या का स्रोत

समस्या का स्रोत मणिपुर और उसके लोगों के प्रति हिन्दोस्तानी शासक वर्ग का

शेष पृष्ठ 7 पर

मज़दूरों के जीवन से खिलवाड़

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

24 अगस्त, 2023 को पंजाब के जलंधर में पेट्रोल पंप की पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत का काम चल रहा था। छत की मरम्मत करते समय, पेट्रोल पंप की छत अचानक गिर गई, जिसमें दो मज़दूरों की मौत हो गयी। दो मज़दूर घायल हो गए। यह दुर्घटना फिल्लौर से नवां शहर के रोड पर बने लसाड़ा पेट्रोल पंप पर हुई। जब छत की मरम्मत हो रही थी, उस समय एक पेट्रोलपंप कर्मी और एक मज़दूर उसके नीचे खड़े थे, जबकि दो मज़दूर छत पर काम कर रहे थे। नीचे खड़े दो मज़दूर मलबे में दब गये और उनकी मौत हो गयी। छत से गिरे दो मज़दूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

निर्माण कार्य से जुड़ी एक और दुर्घटना दिल्ली की है। 24 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2 में स्थित निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार ढह गई। दीवार के नीचे दबने से दो मज़दूरों की मौत हो गयी। फैक्ट्री में काम कर रहे मज़दूरों ने बताया कि बेसमेंट बनाने के लिये खुदाई चल रही थी। हालांकि मज़दूरों ने पहले ही कंपनी मालिक को चेतावनी दे दी थी कि यह दीवार कभी भी गिर सकती है, लेकिन मालिक ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया था। खुदाई के दौरान बेसमेंट की दीवार अचानक गिर गयी। कुछ मज़दूरों ने तो भाग कर अपनी जान बचाई। लेकिन कई मज़दूर दीवार की चपेट में आ गए। उन सभी मज़दूरों को खुदाई करके निकालना पड़ा। कुछ मज़दूर बहुत ही बुरी तरह घायल हो गये हैं। मज़दूरों ने बताया कि काम के दौरान उन्हें कोई भी सेफ्टी किट नहीं दिए गए थे।

निर्माण कार्य से जुड़ी एक और दुर्घटना मिज़ोरम की है। 23 अगस्त, 2023 को निर्माणाधीन रेलवे पुल का एक हिस्सा गिरने से कई मज़दूर मारे गए। यह पुल राजधानी आईजोल से 20 किलोमीटर दूर सायरांग में है। यह घटना सुबह 10 बजे के आस–पास हुई। यह पुल बैरावी को सायरांग से जोड़ने वाली कुरुंग नदी पर बन रहा था। पुल में कुल 4 पिल्लर हैं, तीसरे और चौथे पिल्लर का गर्डर टूटकर गिर गया। उस वक्त पुल पर 35 से 40 मज़दूर काम कर रहे थे। इस पुल की ऊंचाई ज़मीन से 104 मीटर है। जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में 22 मज़दूरों की मौत हुई है।

निर्माण क्षेत्र से जुड़ी ये दुर्घटनाएं दो–तीन दिन के भीतर की हैं। इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन देशभर में कहीं न कहीं होती रहती हैं। मज़दूरों की सुरक्षा और काम करने की असुरक्षित हालतों के चलते निर्माण क्षेत्र में आए दिन, दीवार गिरने, बिल्डिंग से गिरने, मिट्टी धंसने, निर्माणाधीन छत के गिर जाने, करंट लग जाने और आग लग जाने, आदि के चलते मज़दूर मारे जाते हैं। उचित सुरक्षा उपायों की कमी के चलते जिन मज़दूरों को गंभीर रूप से चोटों का सामना करना पड़ता है, वे जीवनभर के लिये अपंग हो जाते हैं। वे फिर से काम करने के लायक नहीं रहते हैं। उन्हें इस दर्दनाक दशा में बिना किसी मुआवज़े के दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है।

निर्माण क्षेत्र से जुड़ी दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या के कोई आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। अधिकांश निर्माण स्थलों पर ऐसी दुर्घटनाओं को शासन–प्रशासन के साथ मिलीभगत में दबा दिया जाता है। निर्माण स्थल पर मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में सरकार कोई परवाह नहीं करती है।

हिन्दोस्तानी राज्य कार्यस्थल पर मज़दूरों के लिए सुरक्षित काम की हालतों को सुनिश्चित नहीं करना चाहता है। वह इसे पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़ों को सुनिश्चित करने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट मानता है। पूंजीपति मज़दूरों की सेफ्टी और सुरक्षा पर धन खर्च करने से बचता है। पूंजीपति मालिक और सरकार निर्माण कार्य को एक निश्चित धनराशि पर ठेकेदारों को सौंप देते हैं। ठेकेदार या ठेका कंपनी सौंपे गए काम को कम से कम धनराशि खर्च करके, ज्यादा से ज्यादा काम लेकर, अप्रशिक्षित मज़दूरों से असुरक्षित और बिना किसी सेफ्टी उपकरण दिए, काम करवाता है। वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा बनाने के लिए ऐसा करता है। मुनाफ़ा बनाने की यह लालच निर्माण कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं को स्वाभाविक बना देता है।

काम करने की स्वस्थ और सुरक्षित परिस्थितियां मज़दूरों का एक मौलिक अधिकार है। मज़दूर वर्ग आंदोलन को इस अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए अपने एकजुट संघर्ष को और तेज़ करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/23984

सफ़ाई कर्मचारियों की दुर्दशा और मौतों का विरोध

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

28 अगस्त को नयी दिल्ली के जंतर–मंतर पर सैकड़ों महिला सफ़ाई कर्मचारियों ने एक ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी 'सफ़ाई कर्मचारी आन्दोलन' के झंडे तले, 11 मई 2022 से, यानी बीते लगभग 480 दिनों से, देश के अलग–अलग इलाकों में सफाई कर्मचारियों की मौतों पर रोशनी डालने के लिए आन्दोलन चला रही हैं।

अन्दोलनकारी महिलाओं ने हाथों में 'हमें मारना बंद करो!' का बैनर तथा अपनी मांगों के बैनर लिए हुए थे। साथ ही साथ मृतक सफ़ाई कर्मचारियों की तस्वीरें भी ली हुयी थीं। प्रदर्शन में आन्दोलनकारी कर्मचारियों ने इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि सिर्फ 2023 में ही अब तक, 59 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इनमें कई मज़दूर 18–25 साल की उम्र के थे। परन्तु सरकार के मंत्रियों ने संसद में इस पर सरासर झूठ बोला है, उन्होंने आरोप लगाया। सरकार को ग़रीब मेहनतकशों की जान की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ़ अमीरों की दौलत बढ़ाने की परवाह है, ऐसा आन्दोलनकारी महिलाओं ने दावा किया।

महिला सफ़ाई कर्मचारियों ने सीवरों और टंकियों की सफ़ाई करने वाले मज़दूरों के लिए, सरकार से संपूर्ण सुरक्षा साधनों, गैस मास्क, आदि की मांग की है। वे मृत मज़दूरों के परिजनों के लिए उचित मुआवज़े तथा इज़्ज़त से जीवन जीने के अधिकार की मांग कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक ये मांगें देशभर में पूरी नहीं की जायेंगी, तब तक उनका आन्दोलन जारी रहेगा।

http://hindi.cgpi.org/24000

टंकी की सफ़ाई करने के लिए उतरे पांच मज़दूरों की मौत

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

30 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला गांव, आगरा–मुंबई रोड में स्थित साक्षी फूड प्रोडक्ट्स में गैस रिसाव के चलते पांच मज़दूरों की मौत हो गयी।

यह फैक्टरी फूड प्रोसेसिंग का काम करती है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में स्थित 9 फीट गहरे सेप्टी टैंक की सफाई के लिए दो मज़दूर उतरे। टंकी के अंदर उतरे इन दोनों मज़दूरों को बेहोश होते देखकर अन्य तीन मज़दूर उन्हें बचाने के लिए टंकी में उतरे। इन सभी मज़दूरों ने टंकी के अंदर दम तोड़ दिया। इन मज़दूरों की मौत जहरीली गैस की वजह से हुई, ऐसा मज़दूरों का मानना है।

कंपनी मालिक की लापरवाही के चलते हुई इन मज़दूरों की मौत को लेकर आसपास के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। 2 सितम्बर को नूराबाद थाना के घुरैया बसई गांव में आसपास के गांव की महापंचायत हुई। पंचायत में यह बात आयी कि पहले भी इस फैक्ट्री के अंदर इस तरह की घटना हो चुकी है। महापंचायत ने प्रशासन से मांग रखी है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 50–50 लाख रुपए की सहायता, एक सदस्य को नौकरी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जायें। साथ ही थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग भी की गई है।

घटना के दिन मृतकों के रिश्तेदारों ने मौतों के असली कारण को छुपाने और मामले पर लीपापोती करके फैक्ट्री मालिक को बेक़सूर ठहराने की पुलिस और प्रशासन की कोशिशों का विरोध किया। पुलिस ने उनकी पिटाई की। इसका भी जमकर विरोध किया जा रहा है।

गुस्साए हुए लोगों ने 5 सितंबर को कलेक्ट्रेट के कार्यालय तक जुलूस निकाला और 6 सितंबर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के मुरैना आगमन पर उनका घेराव किया।

http://hindi.cgpi.org/23992

मज़दूर एकता लहर
(इंटरनेट संस्करण)
हिन्दी : hindi.cgpi.org,
अंग्रेजी : www.cgpi.org,
मराठी : marathi.cgpi.org
पंजाबी : punjabi.cgpi.org,
तामिल : tamil.cgpi.org
ई मेल : mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

पाठकों को निवेदन

हम आपके संघर्षों के बारे में जानना चाहेंगे। कृपया इसकी जानकारी हमें भेजें।

देश की युवा श्रमशक्ति की बर्बादी

पृष्ठ 1 का शेष

हाल के वर्षों में, गिग अर्थव्यवस्था (जो कंपनी और मज़दूर के बीच के पारंपरिक मालिक–मज़दूर के संबंध के बाहर की एक व्यवस्था है), यह लगातार अर्थव्यवस्था के अधिक से अधिक क्षेत्रों में फैल रही है। वर्तमान में यह अनुमान है कि हिन्दोस्तान में 1.5 करोड़ से अधिक गिग मज़दूर काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 99 लाख डिलीवरी सेवाओं में काम कर रहे हैं। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2029 तक गिग अर्थव्यवस्था में लगभग 2.35 करोड़ गिग मज़दूर काम करेंगे। गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले मज़दूरों को हिन्दोस्तान के श्रम क़ानूनों के अनुसार मज़दूर नहीं माना जाता। यानी कि मज़दूर बतौर उनके अधिकारों की कोई क़ानूनी मान्यता नहीं है।

रोज़गार की बढ़ती असुरक्षा और नौकरियों के घटते स्तर का एक और पहलू यह है कि अधिक से अधिक मज़दूर स्व–रोज़गार का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं।

पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे 2020–21 (यह वार्षिक सर्वेक्षण एन.एस.एस.ओ. द्वारा, अर्थव्यवस्था में रोज़गार और बेरोज़गारी के प्रमुख सूचकांकों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है) की रिपोर्ट ने उजागर किया है कि देश में स्व–रोज़गार करने वाले मज़दूरों को जीवित रहने के लिए किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल–जून 2020 में एक वेतनभोगी मज़दूर औसतन प्रतिमाह 17,600 रुपये कमाता था। इसी अवधि में एक स्व–रोज़गार करने वाले व्यक्ति की औसत कमाई केवल 9,541 रुपये प्रति माह थी, जो कि एक वेतनभोगी मज़दूर की कमाई के आधे से थोड़ी अधिक है।

सरकार के प्रवक्ता दावा करते हैं कि स्व–रोज़गार, युवाओं को 'नौकरी मांगने वालों' के बजाए 'नौकरी देने वालों' में बदल देगा। परन्तु, वास्तविकता यह है कि स्व–रोज़गार करने वालों में से 5 प्रतिशत से भी कम लोग ही किसी और को नौकरी दे पाते हैं। बाकी स्व–रोज़गार वाले मज़दूर या तो अपने बल पर, या फिर परिवार के सदस्यों की अवैतनिक मदद के सहारे, छोटे व्यवसाय चलाते हैं। अधिकांश मामलों में, स्व–रोज़गार करने के लिये वही लोग मजबूर होते हैं जिन्हें कोई और रोज़गार नहीं मिल रहा हो।

कड़वी सच्चाई तो यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था, काम करने के इच्छुक लोगों को सुरक्षित रोज़गार प्रदान करने में असमर्थ है। पूंजीवादी व्यवस्था देश में मौजूद श्रम शक्ति का उत्पादक ढंग से उपयोग करने में असमर्थ है। वह "जनसांख्यिकीय लाभ" से फ़ायदा उठाने में असमर्थ है।

देश में रोज़गार की स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है :

- हिन्दोस्तान की श्रमशक्ति, यानि कामकाजी लोगों की संख्या, कामकाजी उम्र के लोगों की बढ़ती संख्या के अनुपात में नहीं बढ़ रही है;
- पिछले पांच वर्षों में रोज़गारशुदा व्यक्तियों की संख्या मोटे तौर पर 40 करोड़ से कुछ अधिक पर स्थगित है, जो कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या के आधे से भी कम है;
- नौकरियों का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में अधिकांश नई नौकरियां अस्थायी ठेकों पर होती हैं;
- नई नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा गिग अर्थव्यवस्था में है, जिसमें मज़दूरों के अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती है; और
- बहुत से लोग जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, वे स्व–रोज़गार करने को मजबूर हो जाते हैं और न्यूनतम वेतन से भी कम कमाई करके अपना गुज़ारा कर रहे हैं।

तालिका–2 : आयु समूहों के आधार पर श्रमशक्ति की संरचना (संख्या)

वर्ष	कुल नियोजित	15 से 30 के बीच कुल नियोजित	30 से 45 के बीच कुल नियोजित	45 और उससे अधिक कुल नियोजित
2016–17	41,27,19,418	10,34,17,128	15,69,29,377	15,23,72,914
2017–18	41,13,98,737	9,39,75,526	15,70,70,663	16,03,52,550
2018–19	40,61,06,308	8,77,18,559	15,58,01,007	16,25,86,742
2019–20	40,88,93,381	8,47,23,694	15,22,15,577	17,19.54,109
2020–21	38,72,14,189	7,12,90,790	14,08,07,839	17,51,15,563
2021–22	40,18,57,445	7,23,30,277	14,01,08,658	18,94,18,508
2022–23	40,58,36,970	7,10,03,678	13,52,38,752	19,95,94,541

स्रोतः सी.एम.आई.ई. का इकोनोमिक आऊटलुक, इंडियन एक्सप्रेस रिसर्च

रोज़गार की कमी और नौकरियों के स्तर में गिरावट अर्थव्यवस्था की पूंजीवाद–परस्त दिशा की एक अनिवार्य विशेषता है। जब निजी मुनाफ़े को अधिकतम करना अर्थव्यवस्था का मक़सद होता है, तब मज़दूरों के वेतन को एक लागत के रूप में देखा जाता है, जिसे कम से कम किया जाता है।

पूंजीपति मालिक कम से कम मज़दूरों से अधिक से अधिक काम वसूलने की कोशिश करते हैं। मज़दूरों के एक हिस्से का अत्यधिक शोषण किया जाता है, जबकि दूसरे हिस्से को बिना किसी रोज़गार के, जबरन बेकार रखा जाता है। पूंजीपति बेरोज़गारों की रिज़र्व सेना का फ़ायदा उठाकर, मज़दूरों के वेतनों को कम करके रखते हैं और उनके शोषण को तेज़ करते हैं। सुरक्षित रोज़गार, निश्चित काम के घंटे, काम करने की सुरक्षित और आरामदायक परिस्थितियां, आदि सुनिश्चित नहीं की जाती हैं क्योंकि ये सब पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े हासिल करने के रास्ते में बाधाएं हैं।

सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था का उद्देश्य मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना नहीं है। क्या उत्पादित किया जायेगा और कितना, यह इस बात से तय नहीं होता है कि हिन्दोस्तानी समाज को किन–किन चीज़ों की ज़रूरत है। यह पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े की लालच से निर्धारित होता है। इसकी वजह से असंतुलित विकास होता है। किसी एक क्षेत्र के आगे बढ़ने के कारण उसमें नौकरियों में वृद्धि होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों को संकट में धकेल दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, उन अन्य क्षेत्रों में नौकरियों में बड़े पैमाने पर छंटनी होती है। अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख क्षेत्रों में बहुत कम वृद्धि हुई है या वे स्थगित हैं, क्योंकि पूंजीपतियों को उनमें अब निवेश करना ज्यादा मुनाफ़ेदार नहीं लगता है। 2016 में नोटबंदी के बाद, 2017 में जी.एस.टी. के लागू होने के बाद और 2020 में हुए लॉकडाउन के बाद से, लाखों–लाखों छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियां बंद हो गई हैं।

पिछले कुछ दशकों से जो "विकास" हो रहा है, उसकी वजह से सबसे बड़े हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपति दुनिया के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इसे मज़दूरों के शोषण, किसानों की लूट और हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट–खसोट को तेज़ करके हासिल किया गया है। वर्तमान दौर में पूंजीवाद की अत्यंत परजीवी प्रकृति इस हक़ीक़त से प्रकट हो जाती है कि जबकि सरकार के प्रवक्ता "विकास" का दावा कर रहे हैं, तो ज़मीनी तौर पर, बेरोज़गारी और क्षमता से कम रोज़गार बढ़ता और फैलता जा रहा है। जितनी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, उनसे कहीं अधिक नौकरियां ख़त्म हो रही हैं।

मज़दूर वर्ग और सभी मेहनतकश लोगों को समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के विकल्प के लिए संघर्ष करना होगा। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के मक़सद से संचालित की जायेगी। समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थ, कपड़े और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भारी वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मियों को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के साधन पूंजीपतियों की निजी संपत्ति नहीं रहेंगे। इन्हें संपूर्ण जनता की सामाजिक संपत्ति में बदल दिया जायेगा। उत्पादन को एक समग्र योजना के अनुसार नियोजित किया जायेगा। बार–बार होने वाले संकटों और नौकरियों के विनाश के बिना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास होगा। प्रौद्योगिकी में प्रगति का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि पूरे समाज की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उनका उपयोग मेहनतकश लोगों की परिस्थितियों को सुधारने और उनके काम के बोझ को कम करने के लिए किया जाएगा, न कि उनका अत्यधिक शोषण करने या उन्हें बेरोज़गार करने के लिए। काम करने में सक्षम सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा और समय के साथ, उनके काम के घंटे कम होते जाएंगे, क्योंकि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी। ऐसी व्यवस्था सभी के लिए रोज़गार की सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करेगी।

http://hindi.cgpi.org/24010

नई दिल्ली में आगामी जी–20 शिखर सम्मेलन

पृष्ठ 2 का शेष

देशों के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा अमरीका और उसके सहयोगी देश पर्यावरण से जुड़े मामलों का बोझ दूसरे देशों पर लादना चाहते हैं।

इस साल हिन्दोस्तान द्वारा जी–20 की अध्यक्षता संभालने को लेकर, मोदी सरकार बहुत बढ़ा–चढ़ा कर प्रचार कर रही है। इस बारे में बहुत चर्चा है कि हिन्दोस्तान जी–20 से जुड़े देशों के बीच "आम सहमति" बनाने और "ग्लोबल साउथ" (आर्थिक रूप से कम–विकसित देशों) के हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हिन्दोस्तान की सरकार, कम विकसित देशों या हिन्दोस्तान के मेहनतकश लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हिन्दोस्तान की सरकार कुछ इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई वाले हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जो विश्व स्तर पर अपने बाज़ारों, कच्चे माल के स्रोतों और प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने के इच्छुक हैं।

हिन्दोस्तान का शासक पूंजीपति वर्ग, दूसरी साम्राज्यवादी ताक़तों के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा करने में, जी–20 की अपनी अध्यक्षता को अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर मानता है। अफ्रीकी संघ को जी–20 में शामिल करने के लिये हिन्दोस्तान द्वारा चलाये गये अभियान के पीछे, अफ्रीकी देशों के बाज़ारों में ज्यादा गहराई तक घुसने और उस महाद्वीप के क़ीमती कच्चे माल पर नियंत्रण हासिल करने के हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों के इरादे छिपे हुए हैं।

हालांकि हिन्दोस्तान एक प्रमुख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसका नेतृत्व इस देश के इजारेदार पूंजीपति कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हिन्दोस्तान सबसे ज्यादा ग़रीब लोगों वाला देश भी है। हिन्दोस्तान के पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को हासिल करने से, हमारे देश के करोड़ों लोगों को उनके जीवन की असहनीय हालतों से मुक्ति नहीं मिलेगी।

जी–20 हमारे देश और पूरी दुनिया के लोगों को तबाह करने वाली प्रमुख समस्याओं, जैसे कि आर्थिक संकट, बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति और प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश आदि, का कोई समाधान नहीं निकाल सकता है। पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था में इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी चाहे कितनी भी बार "वसुधैव कुटुंबकम" की अवधारणा को दोहराएं, लेकिन जब तक साम्राज्यवादी व्यवस्था बरकरार रहेगी तब तक सभी देशों द्वारा मानवता के हितों की सेवा के लिए सहयोग करने की कोई संभावना नहीं है।

इस समय मानवता के सामने जो गंभीर समस्यायें हैं, उनके समाधान के लिए यह ज़रूरी है कि पूंजीपति वर्ग की हुकूमत को बदलकर मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोगों की हुकूमत को स्थापित किया जाये। पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में बदलने की ज़रूरत है। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होगी जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने पर केंद्रित होगी, न कि पूंजीवादी लालच को पूरा करने पर।

http://hindi.cgpi.org/24092

पाठकों की प्रतिक्रिया

आज़ादी अधूरी है!

प्रिय संपादक,

मज़दूर एकता लहर में प्रकाशित लेख "शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्ति के बिना आज़ादी अधूरी है" से स्पष्ट होता है कि आज़ादी के बाद बहुत कम बदलाव आया है। हम, मज़दूर वर्ग और हमारे सहयोगी – लिंग, धर्म और जाति के आधार पर शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते रहते हैं। संपूर्ण राज्य मशीनरी वैसी ही बनी हुई है। ब्रिटिश शासक वर्ग की सेवा के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस और सशस्त्र बलों को तैनात किया गया था; आज, राज्य के ये भाग हिन्दोस्तानी शासक वर्ग की सेवा करते हैं। संविधान राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक क़ानूनों को लागू करना जारी रखता है। यदि जनता अभी भी पीड़ा झेल रही है तो हम किसकी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं?

वर्तमान व्यवस्था से पूर्णतः मुक्ति और हिन्दोस्तान के नव–निर्माण के लिए मज़दूर एकता लहर का आह्वान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जब हम निजी संपत्ति की रक्षा में राज्य की अपरिवर्तनीय भूमिका को समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सत्ता में पार्टी बदलने से हमारी जीवन की परिस्थितियों में सुधार नहीं होगा। हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे प्रणालीगत हैं – मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी, सांप्रदायिक हिंसा, महिला उत्पीड़न, बाढ़ और सूखा। ये सभी समस्याएं पूंजीवाद में निहित हैं; वे तब उत्पन्न होती हैं जब उत्पादन लोगों की ज़रूरतों की ओर उन्मुख नहीं होता है। पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने पर ही हम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।

आज, जीवन की बदतर परिस्थितियों में भी, लाखों लोग हम पर थोपे गए सभी विभाजनों को पार करते हुए, मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी और जन–विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। कर्मचारी सक्रिय रूप से निजीकरण के ख़िलाफ़, रिक्त पदों और पेंशन सहित अन्य मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं।

जब हम अपनी तात्कालिक मांगों के लिए लड़ते हैं, तो हम अपने रणनीतिक लक्ष्य – मज़दूर वर्ग की सत्ता स्थापित करना – को नहीं भूल सकते। केवल मज़दूर वर्ग की सत्ता ही सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति सुनिश्चित करेगी और हमें सच्ची आज़ादी देगी! हम क्या चाहते हैं? हम एक सभ्य जीवन चाहते हैं जिसमें हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष न करना पड़े। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें लोग न केवल जीवित रहें बल्कि फलें–फूलें भी! इससे कम पर क्यों समझौता करें?

मज़दूरों, छात्रों, युवाओं और जागरुक नागरिकों के रूप में यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम राजनीतिक सत्ता पर क़ब्ज़ा करने और मज़दूर वर्ग का शासन स्थापित करने की दिशा में काम करें।

अपराजिता, मुंबई

संपादक महोदय,

हिन्दोस्तान की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर मज़दूर एकता लहर में प्रकाशित लेख – शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्ति के बिना आज़ादी अधूरी है – को पढ़ा। लेख काफ़ी अच्छा है। यह लेख देश की मौजूदा हालत के बारे में बयान करता है।

लेख में आए, जातिगत आधार पर भेदभाव पर मैं पाठकों का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं।

आज़ादी के 76 साल के बाद भी देश में जाति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न जारी है। सभ्य और आधुनिक समाज में यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अपने देश में राज्य ने जातिवाद का उन्मूलन नहीं किया बल्कि जातिवाद को समाज में और गहरा कर दिया है। राज्य जातीय पहचान को मजबूत कर रहा है। इसका असर समाज में यह पड़ रहा है कि लोग अब अपने वाहनों के पीछे जातिसूचक शब्द लिखने या जाति के प्रतीक चिन्ह छापने में गर्व महसूस करते हैं। एक ही गांव में मुहल्लों के नाम जातिगत आधार पर रखना आज भी जारी है। कुछ कालोनियों के नाम, मुहल्लों के नाम या चैराहों के नाम 'जाति' विशेष के नाम पर रखने की होड़ देखी जा रही है। हालांकि ऐसा आज़ादी से पहले भी था, लेकिन अब इसको और मजबूत किया जा रहा है।

राज्य सबको रोज़गार का समान अधिकार नहीं देता है। समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार नहीं देता है। ऐसे में, जाति विशेष के लोगों को सरकारी नौकरी में या शिक्षा में कुछ सीट या केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं में जाति विशेष के आधार पर रियायत को पाने के लिए होड़ करवायी जाती है। नौकरी या शिक्षा की 'सीट' या 'रियायत' पाने के लिए लोग अपनी जाति विशेष की पहचान को आगे रखने को बाध्य होते हैं। ऐसा लगता है कि राज्य की नीतियों का असली इरादा है कि लोग अपनी जाति से चिपके रहें तथा जाति की पहचान बनी रहे।

इसके अलावा, जाति की पहचान को बनाए रखने के लिए, तथाकथित जाति विशेष का कल्याण के लिए रियायती दरों पर सरकारी ज़मीन तथा उस पर निर्माण कराने के लिए राज्य द्वारा वित्त मुहैया कराया जाता है। हिन्दोस्तान में ऐसी कई धर्मशालायें मिल जाएंगी, जो जाति विशेष के नाम पर हैं। इनमें अधिकांश को सरकार की ओर से रियायती ज़मीन दी गई है।

इस तरह से आरक्षण या रियायत देने के पीछे यह धारणा बतायी जाती है कि इससे समाज में वंचित लोगों का कुछ भला किया जा रहा है। सामाजिक न्याय किया जा रहा है। परंतु हक़ीक़त यह है कि हिन्दोस्तानी समाज में जाति पर आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को जारी रखा गया है। जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से सिर्फ़ हम मज़दूरों और किसानों का नुक़सान होता है। हमारी एकता भंग होती है। हम कमज़ोर हो जाते हैं। हमारी इस कमजोरी का पूरा फ़ायदा पूंजीपति वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियों को होता है, जैसे कि आज़ादी से पहले अंग्रेज हुक्मरानों को होता था।

पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां, इस या उस जाति के लोगों को यह कहकर अपने पीछे लामबंध करती हैं, कि अगर हमारी पार्टी को वोट देकर जिताओगे, तो इस जाति को शिक्षा के सीटों या नौकरियों के कुछ अवसरों को पाने के लिये आरक्षित सूची में शामिल कर दिया जायेगा।

अंत में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिये 'फूट डालो और राज करो' की नीति को लागू किया था। आज़ादी के बाद से आज तक हिन्दोस्तान का हुक्मरान पूंजीपति वर्ग उसी नीति पर चल रहा है, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिये। मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को जातिगत आधार पर आपस में लड़वाना या एक जाति को दूसरी जाति के दुश्मन के रूप में चित्रित करना, यह हमारे हुक्मरान पूंजीपति वर्ग का काम है। हुक्मरान ऐसा करके असली दुश्मन, हुक्मरान पूंजीपति वर्ग की लूट और शोषण पर पर्दा डालता है। हमारे देश के मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को इससे होशियार रहना होगा।

मंसूर, दिल्ली

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर में आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित लेख 'शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्ति के बिना आज़ादी अधूरी हैं' को मैंने पढ़ा।

लेख को पढ़ने के बाद मेरे मन में पहला सवाल आता है कि क्या, हमें सच में आज़ादी मिली हैं? तो इसका जवाब है कि 'नहीं'। हम आज भी गुलामी की ज़िन्दगी जी रहे हैं। इस देश में ग़लत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर उल्टा हमें ही दोषी ठहराया जाता है। देशद्रोह के नाम पर हमारे ही लोगों पर तरह–तरह के क़ानून लगाकर हमें जेलों में बंद कर दिया जाता है। ऐसे में हम कहां से आज़ाद हुए!

इसमें मणिपुर में हो रही हिंसा का जिक्र किया गया है। देश के हुक्मरान पूंजीपति वर्ग ने अपने खुदगर्ज़ हितों के चलते कई सालों से एक साथ रह रही दो जातियों को आपस में लड़ा दिया है। हुक्मरान पूंजीपति वर्ग मणिपुर को लूटना चाहता है। जबकि मणिपुर केवल वहां के रहने वाले लोगों का है। हम ऐसे देश में रहते हैं, जहां महिलाओं के साथ रोज़ बलात्कार होते हैं। मणिपुर में इंसाफ मांगने के लिए औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। यहां एक तरफ़ औरतों की सुरक्षा के नाम पर क़ानून बनाने का ढोंग किया जाता है तो दूसरी तरफ़ महिलाओं के शोषण और अत्याचार करने वालों को पूरी छूट दी जाती है, उन्हें फलने–फूलने दिया जाता है।

अंग्रेजों से देश की आज़ादी के लिए शहीद भगत और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया था। उससे पहले 1857 में अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी देशवासियों ने मिलकर लड़ा था। उन वीरों ने नारा दिया कि 'हम हैं इसके मालिक, हिन्दोस्तान हमारा।' जिसका मतलब है, यह देश सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़दूरों, किसानों और मेहनतकश लोगों, यानि जनता का है। इसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता है। आज़ादी के बाद जनता के साथ उल्टा हुआ है। कुछ बड़े पूंजीपति घराने देश के मालिक बन बैठे हैं। हम कितने ही सालों से यही चीज़ देखते आ रहे हैं। देश की जनता ग़रीब होती जा रही है। पूंजीपति घराने अमीर व और अमीर होते जा रहे हैं।

सही मायने में आज भी हम गुलाम हैं। बस फ़र्क़ यह है कि पहले हम अग्रंजों के गुलाम थे और अब बड़े–बड़े देशी–विदेशी पूंजीपतियों के गुलाम हैं। हम जनता आपस में एकजुट होकर पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ क़दम न उठाएं, इसलिए हुक्मरान हमें आपस में लड़ाने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। फूट डालो और राज करो – यही इनकी नीति है। रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म व जाति के आधार पर लड़वाते हैं। दंगा भड़काते हैं। इन दंगों और हिंसा में न जाने कितने ही मासूम और बेकसूर लोग मारे जाते हैं।

यह वक्त की ज़रूरत है कि हम सब एकजुट हों। देश में ग़लत नीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। लोगों को लामबंध करें कि वे देश के असली दुश्मनों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। असली दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है। हमें इस देश की सत्ता को अपने हाथों में लेना होगा। तभी सही मायनों में हमें आज़ादी प्राप्त होगी।

भावना, दिल्ली

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

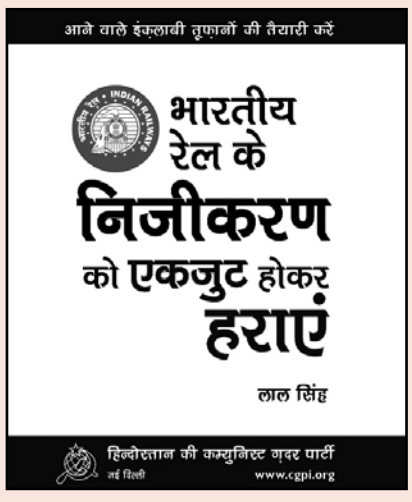

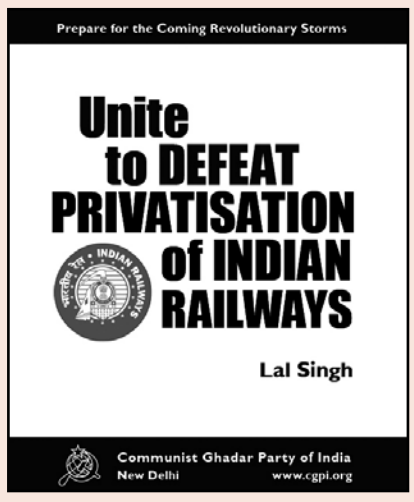

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।
इस पुस्तिका को मंगाने के लिये संपर्क करें : 9868811998, 9810167911

राजस्थान गिग–मज़दूर अधिनियम

पृष्ठ 1 का शेष

डेटाबेस राज्य सरकार के साथ साझा करना होगा।

यदि मालिक या एग्रीगेटर समय के अन्दर, कल्याण शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं तो अधिनियम में दंड का प्रावधान भी है। एग्रीगेटर के लिए जुर्माना पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये तक और उसके बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये तक हो सकता है। प्रमुख मालिक के मामले में, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माना 10,000 रुपये तक और बाद के उल्लंघनों के लिए 2 लाख रुपये तक हो सकता है।

गिग मज़दूरों की समस्याएं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है

हाल के वर्षों में, गिग–अर्थव्यवस्था (जिसमें कंपनियां और मज़दूर, पारंपरिक मालिक–मज़दूर संबंध के बाहर एक नयी व्यवस्था के तहत काम करते हैं) लगातार अर्थव्यवस्था के अधिक से अधिक क्षेत्रों में विस्तार कर रही है। हिन्दोस्तान में, इस समय 1.5 करोड़ से अधिक गिग मज़दूर होने का अनुमान है। इनमें से अनुमानित 99 लाख डिलीवरी सेवाओं से जुड़े हैं। नीति–आयोग की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2029 तक लगभग 2.35 करोड़ मज़दूर, गिग–अर्थव्यवस्था में काम करेंगे।

हिन्दोस्तान के श्रम क़ानूनों द्वारा गिग मज़दूरों को एक मज़दूर बतौर मान्यता नहीं दी जाती है। उन्हें "डिलीवरी पार्टनर", "डिलीवरी एक्जीक्यूटिव" आदि जैसे नामों से बुलाया जाता है। इसके चलते, मालिक पूंजीवादी कंपनी के साथ इन मज़दूरों के असली शोषणकारी संबंधों को छिपाया जाता है।

गिग मज़दूरों को उन सभी अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो सभी मज़दूरों को उनके मज़दूर होने के नाते, अधिकार बतौर हासिल होने चाहियें। इन अधिकारों का उल्लेख, हिन्दोस्तान की वेतन संहिता, औद्योगिक–संबंध संहिता और कार्य–स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता में किया गया है। इनमें काम के दिन की सीमा, न्यूनतम वेतन, कार्य–स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और ओवरटाइम वेतन शामिल हैं। कंपनी के मालिक, गिग मज़दूरों के द्वारा गठित किसी भी यूनियन के साथ बातचीत करने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये यूनियन औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं और वे कंपनी के मालिकों के ख़िलाफ़ श्रम–अदालतों में अपने मामले दायर नहीं कर सकते हैं।

गिग मज़दूरों को निर्धारित घंटों के लिए काम करने का हक़ नहीं है। उनकी दैनिक कार्यसूची मालिक कंपनियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा निर्धारित की जाती है और उस पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। उनको अक्सर प्रतिदिन 12–14 घंटे तक भी काम करना पड़ता है। इस वजह से उन्हें आराम करने या अपने परिवार के साथ कुछ वक्त गुज़ारने का बहुत कम अवसर मिलता है और उनके मानसिक तनाव का स्तर भी बहुत बढ़ जाता है।

सभी गिग मज़दूरों पर, कम से कम समय में, अपनी डिलीवरी करने का दबाव होता है। विशेष रूप से डिलीवरी–मज़दूरों, और कैब व ऑटो चालकों पर, निश्चित समय में यात्राओं की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का अत्यधिक दबाव होता है। इसके परिणामस्वरूप, वे अक्सर सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं जो कभी–कभी गंभीर या घातक भी हो सकती हैं।

रोज़ी–रोटी की असुरक्षा, स्थाई नौकरी की कमी, पर्याप्त व सुरक्षित आमदनी की कमी, यह गिग मज़दूरों के सामने एक मुख्य समस्या है। गिग अर्थव्यवस्था में कई डिलीवरी कर्मचारियों की औसत आमदनी, आम तौर पर सरकार की घोषित न्यूनतम मज़दूरी से भी कम है। इनमें भी हाल के वर्षों में गिरावट आ रही है, क्योंकि कंपनी मालिकों द्वारा शुरू में दिए गए कई सारे इंसेंटिव, अब वापस ले लिए गए हैं। जब भी कंपनी मालिक गिग मज़दूरों को रोज़गार पर रखने को अपने मुनाफ़ों के लिए नुकसानदायक समझता है, तो वह उन्हें एक पल के नोटिस पर नौकरी से बाहर निकाल सकता है।

अन्य देशों में गिग मज़दूरों द्वारा हासिल किये गए अधिकार

गिग डिलीवरी मज़दूरों और कैब ड्राइवरों ने कुछ देशों में डटकर संघर्ष करके, कुछ अधिकार हासिल किए हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका के एक राज्य कैलिफोर्निया में, डायनामेक्स नामक उसी–दिन डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी ड्राइवरों ने कैलिफोर्निया के श्रम–कोड में बदलाव सुनिश्चित कर लिया है। कंपनी द्वारा नियुक्त डिलीवरी–मज़दूर, जिनकी काम की ज़िम्मेदारी और काम के घंटे, कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अब अनुबंध–मज़दूरों की बजाय, नियमित मज़दूर माने जाएंगे और कंपनी के एक पूर्ण–मज़दूर को मिलने वाले सभी लाभ, डिलीवरी–मज़दूरों को भी मिलेंगे।

2021 में, ब्रिटेन (यू.के.) के सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि उबर–ड्राइवरों को मज़दूरों के रूप में माना जाना चाहिए, न कि स्व–रोज़गार कर्मियों के रूप में। इस परिभाषा को, यू.के. रोज़गार अधिकार अधिनियम में अब शामिल किया गया है। यू.के. में गिग मज़दूरों को अब नियमित कर्मचारियों और स्व–रोज़गार कर्मियों के बीच की एक श्रेणी में "मज़दूरों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे उन्हें न्यूनतम वेतन, वेतन सहित अवकाश, सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं और स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

इंडोनेशिया में गिग मज़दूर अब दुर्घटना, स्वास्थ्य और मृत्यु–बीमा के हक़दार हैं। बेल्जियम में डेलीवरू नामक कंपनी के डिलीवरी मज़दूरों ने अपने मालिकों को ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया है। कनाडा में गिग मज़दूरों ने अपनी नौकरी से बर्ख़ास्तगी के संबंध में कुछ ख़ास अधिकार हासिल कर लिए हैं।

गिग मज़दूरों के लिए स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त आमदनी और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को सुरक्षित करना एक ऐसा मुद्दा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) में भी ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाया गया है। अब तक बहुत कम देशों में इन्हें सुनिश्चित करने के लिए कोई क़दम लिए जाने की ख़बर मिली है।

यह अधिनियम इनमें से कई समस्याओं को हल करने में असमर्थ है

राजस्थान प्लेटफॉर्म – आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 गिग मज़दूरों की इन प्रमुख समस्याओं में से कई समस्याओं को हल करने में असमर्थ है, भले ही यह इन मज़दूरों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करने का वादा करता है। यह अन्य देशों में गिग मज़दूरों के संघर्षों के अनुभव और उनके संघर्षों के द्वारा हासिल किये गए अधिकारों पर आधारित नहीं है। (बॉक्स देखें : अन्य देशों में गिग मज़दूरों द्वारा हासिल किये गए अधिकार)

सबसे पहले, अधिनियम में गिग मज़दूर की परिभाषा इस प्रकार से दी गयी है : "वह व्यक्ति, जो ऐसा काम करता है या ऐसी कार्य–व्यवस्था में भाग लेता है, जो मालिक–मज़दूर के पारंपरिक संबंधों के बाहर है; और जो ऐसी गतिविधियों से कमाता है तथा जो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करता है जिसके ज़रिये उसे एक निश्चित दर पर वेतन दिया जाता है या पेमेंट किया जाता है।" अधिनियम में एग्रीगेटरों को 'डिजिटल मध्यस्थता करने वालों' के रूप में परिभाषित किया गया है। "कोई भी इकाई जो सेवाएं प्रदान करने के लिए एक या अधिक एग्रीगेटर्स के साथ काम करती है, इसमें शामिल है।"

इन परिभाषाओं को जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। वे स्पष्ट रूप से कंपनी के मालिक या एग्रीगेटर की एक "मालिक" और गिग मज़दूर की एक "मज़दूर" के रूप में पहचान नहीं करते हैं। अगर ऐसी पहचान स्पष्ट की जाती, तो मालिक मज़दूर के लिए कुछ अधिकार और विशेष लाभों को सुनिश्चित करने के लिए क़ानूनी रूप से बाध्य होता है और मज़दूर ऐसे अधिकारों और लाभों का हक़दार होता है। इस तरह, यह अधिनियम गिग मज़दूरों की कुछ मुख्य परेशानियों और समस्याओं को संबोधित नहीं करता है – जैसे कि मज़दूरों के रूप में उनकी मान्यता, न्यूनतम वेतन का अधिकार, काम के दिन की सीमा कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ तथा ट्रेड यूनियनों में संगठित होने का अधिकार। कंपनी के मालिक मज़दूरों को न्यूनतम वेतन से भी कम पर प्रतिदिन 12–14 घंटे काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और उन्हें उनके काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए चिकित्सा खर्च से भी वंचित कर सकते हैं। उन्हें बिना कोई पूर्व सूचना दिए या बिना किसी मुआवज़े का भुगतान किये, नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है।

दूसरा, अधिनियम में गिग मज़दूरों का एक डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव है। एक प्लेटफार्म पर पंजीकृत सभी मज़दूरों का विवरण प्रस्तावित गिग मज़दूर कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना है। परन्तु, अधिनियम इसे लागू करने के लिए कोई तंत्र सामने नहीं रखता है, न ही इसमें उन मालिकों के लिए किसी दंड का प्रावधान है जो अपने द्वारा काम पर लगाये गए सभी गिग मज़दूरों का विवरण कल्याण बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर नहीं डालते हैं।

तीसरा, कई गिग मज़दूर अपनी गिरती आमदनी के कारण, अक्सर एक ही दिन में दो या दो से अधिक एग्रीगेटरों के लिए काम करते हैं। यह भी संभव है कि पंजीकरण की यह अनिवार्य प्रणाली, एग्रीगेटरों को मज़दूर के और अन्य एग्रीगेटरों के साथ रोज़गार के बारे में जानने में सक्षम बनाएगी और मज़दूरों के लिए ऐसी संभावनाओं को ख़त्म कर देगी। कंपनी मालिकों को ऐसा करने से रोकने के लिए इस अधिनियम में कोई भी प्रावधान नहीं है।

चौथा, अधिनियम एक प्रतिनिधित्ववादी कल्याण बोर्ड का गठन करके और एक कल्याण कोष बनाकर प्लेटफॉर्म–आधारित गिग मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का वादा करता है। लेकिन यह अधिनियम न तो यह परिभाषित करता है कि सामाजिक सुरक्षा क्या है और न ही उन कल्याणकारी उपायों का विवरण पेश करता है जिन्हें मोटे–तौर पर सामाजिक सुरक्षा के रूप में समझा जा सकता है। इसके बजाय, यह इस महत्वपूर्ण पहलू को कल्याण बोर्ड के निर्णय पर छोड़ देता है। इसमें कहा गया है कि कल्याण बोर्ड की ज़िम्मेदारी होगी "पंजीकृत प्लेटफॉर्म–आधारित गिग मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं तैयार करना और अधिसूचित करना और ऐसे उपाय बनाना जो ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त समझे जाएं।"

अंत में, अधिनियम कल्याण बोर्ड में गिग मज़दूरों के प्रतिनिधित्व के ज़रिए शिकायत निवारण की एक व्यवस्था का प्रस्ताव करता है। बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामित पांच गिग मज़दूर प्रतिनिधि शामिल होंगे। परन्तु यह ज़ाहिर है कि बोर्ड पर प्लेटफार्म के मालिक पूंजीवादी कंपनियों के शक्तिशाली प्रतिनिधियों का वर्चस्व होगा और उसमें अफ़सरशाही व सरकार के सदस्य होंगे, जो पूंजीवादी मालिकों के हितों की पूरी तरह से हिमायत करेंगे।

मज़दूरों के रूप में मान्यता के बिना और ट्रेड यूनियन अधिकारों के अभाव में, गिग मज़दूर अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर, संगठित रूप से लड़ने या अपनी समस्याओं का कोई हल हासिल करने की स्थिति में नहीं होंगे।

आगे का रास्ता

किसी अन्य प्रकार के रोज़गार के अभाव में, गिग अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाले मज़दूरों की बढ़ती संख्या के चलते, ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों को गिग मज़दूरों को मज़दूर के रूप में क़ानूनी मान्यता दिलवाने और उनके अधिकारों, जैसे निश्चित काम करने के घंटे, सुरक्षित काम करने की स्थिति, न्यूनतम वेतन, नौकरियों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, यूनियन बनाने का अधिकार, शिकायतों के निवारण के लिए उपाय आदि मुद्दों को उठाना होगा। गिग मज़दूरों को बाकी मज़दूर वर्ग के साथ मिलकर, अपने मूलभूत अधिकारों, जैसे कि मज़दूरों के रूप में मान्यता और मज़दूर बतौर अधिकारों को हासिल करने के अपने प्रयासों में लगे रहना होगा।

http://hindi.cgpi.org/24037

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का

हिन्दी पाक्षिक अखबार

मज़दूर एकता लहर

WhatsApp 09868811998

वार्षिक शुल्क 150 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये :

श्री मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020

मज़दूर एकता लहर को मनीआर्डर से पैसा भेजने वाले सभी पाठकों से अनुरोध है कि पैसा भेजने के बाद हमें, इस नम्बर पर 09810167911 सूचित करें तथा एस.एम.एस. करें। ई-मनीआर्डर भेजते समय फार्म में अपना पूरा पता साफ-साफ भरें।

राजस्थान में फार्मासिस्ट धरने पर

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

1 सितम्बर, 2023 से राजस्थान के अलग–अलग जिलों में स्थित सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में काम करने वाले फार्मासिस्ट अपनी मांगों को लेकर, राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ (एकीकृत) की अगुवाई में क्रमिक धरना दे रहे हैं।

आंदोलित फार्मासिस्ट यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें नर्सों के समान विभिन्न भत्ते दिए जायें। वे फार्मासिस्टों के पदों और वेतनों में विसंगतियों को दूर करने और समयानुसार पदोन्नति करने की मांग कर रहे हैं। वे सभी दवा वितरण केन्द्रों पर सहायकों और मशीनों की मांग कर रहे हैं और सरकारी निःशुल्क दवा केन्द्रों के कर्मियों के लिए उचित वेतन की मांग कर रहे हैं। फार्मासिस्ट ऑफलाइन रिकॉर्ड बंद करके केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

राजस्थान के फार्मासिस्ट बीते कई महीनों से, अपनी मांगों को लेकर, तरह–तरह के विरोध संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने 6 फरवरी, 2023 को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिवसीय विशाल धरना दिया था। 20 से 25 मार्च के बीच उन्होंने सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के गेट के बाहर एक हफ्ते का धरना आयोजित किया था। 27 मार्च से 30 अप्रैल के बीच, राजस्थान के विभिन्न जिलों में उन्होंने धरना दिया था। आंदोलित फार्मासिस्ट 1 मई से काम का बहिष्कार करने वाले थे, परन्तु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने जा रही है। अतः फार्मासिस्ट संगठन ने जनहित में, काम के बहिष्कार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। परंतु 4 महीने बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार ने फार्मासिस्टों की किसी भी महत्वपूर्ण मांग पर ग़ौर नहीं किया है। इसलिए सभी फार्मासिस्टों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है।

फार्मासिस्टों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन के आगामी क्रम में सभी मेडिकल कालेजों, जिला मुख्यालयों तथा ब्लाक कार्यालयों पर 4–6 सितंबर को सुबह 8–10 बजे के बीच गेट मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 8 सितंबर को जयपुर में विशाल धरना किया जायेगा। 11–17 सितम्बर के बीच 2 घंटे के लिये काम का बहिष्कार किया जाएगा। इसके पश्चात 15 सितंबर को प्रदेश के सभी फार्मासिस्ट सामूहिक अवकाश लेंगे। यदि 15 सितम्बर, 2023 तक फार्मासिस्टों की मांगों पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो फार्मासिस्टों को मजबूरन काम का पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा।

http://hindi.cgpi.org/24004

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

8 सितम्बर, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने हेल्थ फेडरेशन कर्मचारी संघ के झंडे तले, विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में आंदोलनरत कर्मचारियों के बर्ख़ास्त किये जाने का विरोध किया।

सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को 1 अगस्त को ज्ञापन दिया और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाक़ात की। बाद में उन्होंने 11 अगस्त को आंदोलन किया था। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब अपने वादों से मुकर रही है।

समाचार सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले हज़ारों कर्मचारी हेल्थ फेडरेशन कर्मचारी संघ की अगुवाई में 21 अगस्त, 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस फेडरेशन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 12 संगठन शामिल हैं। इसमें

राज्य के 5,200 उप–स्वास्थ्य केंद्र, 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 33 जिला अस्पताल और सभी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इनमें काम करने वाले लगभग 40 हज़ार कर्मचारी हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के डाक्टरों और नर्सों सहित सभी स्वास्थ्य कर्मी काफी लंबे समय से संघर्ष की राह पर हैं। वे अपने वेतन की विसंगतियों को दूर करने, समय पर वेतन दिए जाने, कोरोना भत्ता दिए जाने, स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक घटनाओं को रोकने, साप्ताहिक अवकाश व सेवा लाभ, आदि जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

हड़ताल की वजह से ग्रामीण और शहरी इलाकों के स्वास्थ्य केन्द्रों में कई स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लेकिन आंदोलित स्वास्थ्य कर्मियों की जायज़ मांगों को मानने तथा जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के बजाय, सरकार ने 2 सितंबर से हड़ताली कर्मचारियों को एस्मा (आवश्यक सेवा क़ानून) के तहत बर्ख़ास्त करना शुरू कर दिया है। अब तक बर्ख़ास्त किये गए कर्मचारियों की संख्या 4,500 तक पहुंच चुकी है, जिनमें नियमित चिकित्सक, स्टाफ नर्स, संविदा और अनियमित स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर चल रहे धरनों में स्वास्थ्यकर्मी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। सरकार की मज़दूर–विरोधी कार्यवाही की घोर निंदा की जा रही है।

http://hindi.cgpi.org/24025

मणिपुर में संकट जारी है

पृष्ठ 2 का शेष

दृष्टिकोण है। मणिपुर के हिन्दोस्तानी संघ में विलय के समय से, नई दिल्ली में आई एक के बाद दूसरी, सभी सरकारें लगातार मणिपुर के लोगों के अधिकारों की उपेक्षा और उल्लंघन करती रही हैं। हिन्दोस्तानी शासक वर्ग मणिपुर और देश के सभी राज्यों की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को अपनी निजी जागीर मानता है, जिसका अधिक से अधिक मुनाफ़ों के लिए दोहन किया जा सके। शासकों को मणिपुर के लोगों की कोई परवाह नहीं है – चाहे मैतेइ हों, कुकी हों, नगा हों या अन्य।

मणिपुर के लोगों के अपने अधिकारों के संघर्षों को कुचलने के लिए, हिन्दोस्तानी सरकार ने अलग–अलग नस्लों के समूहों को एक–दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने की नीति अपनाई है। सरकार ने समय–समय पर विभिन्न हथियारबंद गिरोहों के साथ, अलग–अलग वार्तायें व तथाकथित शांति समझौते किये हैं। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें लोग सरकारी सशस्त्र बलों और गैर–सरकारी हथियारबंद गिरोहों की रहमत पर निर्भर हैं, जो खुद ही अपना क़ानून बनाते हैं और लागू करते हैं। तथाकथित शांति समझौतों के ज़रिये यह डर फैलाया गया है कि मणिपुर राज्य को छोटे–छोटे टुकड़ों में बांट दिया जायेगा। इससे मणिपुर के सभी लोगों में भड़काऊ भावनाएं पैदा की गयी हैं ।

पिछले एक दशक से, केंद्र सरकार "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के नाम से जानी जाने वाली नीति अपना रही है। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा हिन्दोस्तान को सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ना है। इसका एक दूसरा हिस्सा मणिपुर और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के अनमोल खनिज संसाधनों का शोषण करना है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में चूना पत्थर, क्रोमाइट और प्लैटिनम ग्रुप की धातुओं के भरपूर भंडार पाए गए हैं। कई पूंजीपतियों ने इन खनिज संसाधनों के शोषण के लिए मणिपुर सरकार के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते मणिपुर के लोगों की पीठ पीछे किये गये हैं। जब लोगों को पता चला कि शोषण के लिए उनकी ज़मीनों पर पूंजीपतियों द्वारा क़ब्ज़ा किया जा रहा है, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किये। उन्होंने दावा किया है कि उनकी ज़मीन उनकी अनुमति के बिना पूंजीपतियों को नहीं सौंपी जा सकती है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हालिया संशोधन, जो केंद्र सरकार को किसी भी क्षेत्र के लोगों की अनुमति के बिना, देश की सरहदों के 100 किलोमीटर के भीतर वन भूमि पर क़ब्ज़ा करने की अनुमति देता है, उसे इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मणिपुर के सभी खनिज संपन्न जिले इस दायरे के अन्दर आते हैं।

अपने क़ीमती प्राकृतिक संसाधनों की बेरहम लूट के ख़िलाफ़ मणिपुर के लोगों के एकजुट विरोध को तोड़ने के लिए, मणिपुर सरकार ने जानबूझकर यह झूठा प्रचार फैलाया है कि जो लोग अपनी भूमि के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, वे "शरणार्थी", "अफीम की खेती करने वाले", या "वन भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा करने वाले", आदि हैं। इस झूठे प्रचार का उद्देश्य अपनी भूमि के अधिग्रहण का विरोध कर रहे लोगों को बदनाम करना है, और बाकी लोगों को उनके ख़िलाफ़ लामबंध करना है।

कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि मणिपुर की वर्तमान भयावह स्थिति के लिए हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ज़िम्मेदार है। शासकों ने अपने संकीर्ण खुदगर्ज़ इरादों को पूरा करने के लिए यह स्थिति पैदा की है।

मणिपुर के लोगों को इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। उन्हें शासक वर्ग की 'फूट डालो और राज करो' की नीति का शिकार बनने से बचना होगा। उन्हें अपने संघर्ष का निशाना हिन्दोस्तानी शासक वर्ग को बनाना होगा, जो उनके सभी दुखों का स्रोत है।

http://hindi.cgpi.org/24031

मज़दूर एकता लहर

हिंदोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Sep, 2023, Date of publish - 16 Sep, 2023

To ....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020 email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

किसान संगठनों के संघर्ष का अगला पड़ाव

4 सितम्बर, 2023 को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में किसान संगठनों और पंजाब सरकार के बीच, केंद्र सरकार से संबंधित मांगों को लेकर वार्ता हुई।

इससे पहले, 22 अगस्त को उत्तरी हिन्दोस्तान के 6 राज्यों के 16 किसान संगठनों ने चंडीगढ़ में इन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। उस प्रदर्शन को रोकने के लिए, पुलिस ने आन्दोलनकारी किसानों पर लाठी चार्ज किया था। अनेक किसान नेताओं को गिरफ़्तार किया गया था और एक किसान की मौत हो गयी थी। उसके बाद 16 संगठनों के प्रतिनिधियों और पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच चंडीगढ़ में यह वार्ता तय हुई थी।

वार्ता में भाग लेने वाले किसान संगठन थे : किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी–पंजाब, बीकेयू एकता (आज़ाद), बीकेयू क्रांतिकारी, आज़ाद किसान यूनियन–हरियाणा, बीकेयू बेहराम, बीकेयू शहीद भगत सिंह–हरियाणा, बीकेयू सर छोटू राम, किसान महापंचायत–हरियाणा, पगड़ी संभाल जट्टा, प्रगतिशील किसान मोर्चा–यूपी और राष्ट्रीय किसान संघ–हिमाचल।

वार्ता के दौरान किसान संगठनों ने उत्तरी हिन्दोस्तान के बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि दिये जाने की मांग की। इसके अलावा, किसानों ने एम.एस.पी. की गारंटी का क़ानून बनाने, मनरेगा के तहत हर साल 200 दिन का रोज़गार देने और 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर चले प्रदर्शन के दौरान किसानों पर पुलिस द्वारा दर्ज़ किये गये केस वापस लेने की मांगें भी उठायीं। लेकिन उन्हें सरकारों के प्रतिनिधियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

किसान संगठनों ने अब घोषणा की है कि आने वाले 28 सितंबर से तीन दिवसीय रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस आन्दोलन में खेत मज़दूरों की पूर्ण ऋण माफ़ी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग उठाई जायेगी।

16 किसान संगठनों की सरकार के साथ अगली बैठक 11 सितंबर को चंडीगढ़ में घोषित की गयी है।

http://hindi.cgpi.org/24012

हरियाणा में आशा कर्मियों का ज़ोरदार आंदोलन

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

हरियाणा में आशा कर्मी अपनी न्यायसंगत मांगों को बुलंद करते हुए, 8 अगस्त, 2023 से हड़ताल पर हैं। इस संघर्ष की अगुवाई आशा वर्कर्स यूनियन कर रही है।

पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों, तहसीलों तथा शहरों में आंदोलित आशा कर्मी प्रदर्शन कर रही हैं, जुलूसें निकाल रही हैं, धरने दे रही हैं, इत्यादि। उन्होंने मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों व विधायकों को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है।

2018 से आशा कर्मियों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। महंगाई दुगुनी से ज्यादा हो चुकी है। काम तीन गुना बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा, सरकार रोज़ नए–नए काम आनलाइन करने के लिए आशा कर्मियों पर थोप रही है। स्वास्थ्य केन्द्रों व जिला अस्पतालों में इन आशा कर्मियों के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं करायी जाती है। इन्हीं कारणों से, लगभग 20,000 आशा कर्मी हड़ताल पर हैं।

हरियाणा के अलग–अलग कर्मचारी संगठन – क्रेच कर्मियों की यूनियन, भवन निर्माण कामगार यूनियन, मनरेगा श्रमिक यूनियन, वन मज़दूर यूनियन, ग्रामीण सफ़ाई कर्मचारी यूनियन, भट्ठा मज़दूर यूनियन और मिड–डे मील वर्कर यूनियन, आदि आशा कर्मियों के संघर्षों का पूरा–पूरा समर्थन कर रहे हैं।

आशा कर्मियों की मुख्य मांगें हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्ज़ा दिया जाए और न्यूनतम 26,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए।

आशा कर्मियों की जायज़ मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को बदनाम करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि हरियाणा के आशा कर्मियों को पहले से ही देश में सबसे अधिक भत्ता दिया जा रहा है। इस पर आशा कर्मियों का कहना है कि पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में उनके सहकर्मियों को उनसे अधिक और सुनिश्चित वेतन मिलता है।

हरियाणा में लगभग 7,000 गांव, कालोनी तथा शहर हैं, जिनमें 20,350 आशा कर्मी काम करते हैं। 1,000 की आबादी पर एक आशा कर्मी नियुक्त है। आशा कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त किया जाता है।

आशा कर्मियों को अनेक ज़िम्मेदारियां दी जाती हैं। उन्हें टीकाकरण करना पड़ता है, बच्चे के जन्म से पूर्व व पश्चात की देखभाल के लिये महिलाओं और बच्चों का पंजीकरण करने में आंगनवाड़ी कर्मियों की मदद करनी पड़ती है। आगे उसे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र में भेजना पड़ता है। उसे जवान लड़कियों के पोषण कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कर्मियों की मदद करनी पड़ती है, गर्भ निरोधक बांटना पड़ता है, बच्चों को जन्म देने के लिये महिलाओं को तैयार करना तथा उन्हें अस्पताल जाने को प्रेरित करना व ले जाना पड़ता है, स्तन पान और शिशु के सही भोजन का प्रचार करना होता है, गांव में सभी जन्मों और मौतों का पंजीकरण सुनिश्चित करना पड़ता है।

आशा कर्मियों से इन सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन सरकार आशा कर्मियों को एक सरकारी मज़दूर की मान्यता देने को तैयार नहीं है। सरकार आशा कर्मियों को सुनिश्चित न्यूनतम वेतम भी मुहैया कराने को तैयार नहीं है। इतने संघर्षों के बावजूद, आज भी देश के कई स्थानों पर आशा कर्मियों को 6,000–10,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर काम करने को मजबूर किया जा रहा है। यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों में काम करने वाली आशा कर्मियों सहित अन्य स्कीम कर्मी, सरकारी मज़दूर बतौर मान्यता दिए जाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।

आशा वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल की अवधि को 11 सितंबर तक बढ़ा दिया है। आंदोलित आशा कर्मी 10 सितंबर को रोहतक में सम्मेलन करने जा रही हैं, जिसमें आंदोलन की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जायेगी। वे अपनी हड़ताल के समर्थन में सरपंच, पंच, जिला परिषद और ब्लाक समितियों के प्रतिनिधियों, आदि सभी को आमंत्रित कर रही हैं।

http://hindi.cgpi.org/23996

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode% MAHB0000974, मो.–9810167911

वाट्सएप और पेटीएम नं.–9868811998, email: mazdoorektalehar@gmail.com